Nishank Kumar Jain
MLA
Ganj Basoda,
Distt. Vidisha (M.P.)

Office : Saraswati Bhawan,
Mela Ground, Ganj Basoda,
Distt. Vidisha (M.P.) 464221
Mobile : 9425148757
Phone : 07594-221022

संचालक सह-आयुक्त

Ref. No.: 6993 Date 12 JUN 2017

श्री राधेश्याम जुलानिया जी,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय :— लघु वनोपज पर पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार।

——00——

लघु वनोपज पर पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिए जाने के संबंध में संवैधानिक, वैधानिक प्रावधानों एवं शासनादेशों का राज्य में जमकर अपमान किया जा रहा है उपहास भी उड़ाया जा रहा है।

- संविधान की 11वीं अनुसूची
- पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा कानून)
- म.प्र. शासन वन विभाग का 25 जनवरी 2001 का आदेश
- वन अधिकार कानून 2006.

संवैधानिक, वैधानिक प्रावधान एवं शासनादेश का लघु वनोपज के संबंध में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज तक पालन नही किया, वन विभाग को राज्य विधानसभा में अमान्य करने, इन्कार करने के लिखित उत्तर प्रस्तुत कर पूरी व्यवस्था का अपमान कर रहा है, उपहास कर रहा है।

हम उपरोक्त गंभीर आरोपो से संबंधित प्रमाण इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं जिन्हें स्वयं वन विभाग एवं पंचायत विभाग ने राज्य की विधानसभा में पटल पर प्रस्तुत किया है।

हमारा अनुरोध है कि इस पूरे विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका एवं कार्यवाही से संबंधित जांच कर हमें वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने का कष्ट करे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(निशंक कुमार जैन)

प्रतिलिपी : श्री अजय सिंह जी माननीय नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधानसभा भोपाल।

प्रनक्र.1055 पोपिशील-ब

(9)

hank Kumar Jain

MLA

Ganj Basoda,

Distt. Vidisha (M.P.)

Office : Saraswati Bhawan,

Mela Ground, Ganj Basoda,

Distt. Vidisha (M.P.) 464221

Mobile : 9425148757

Phone : 07594-221022

Ref. No.: 9994

JD (P) .......D.D. ( )

संचालक सह–आयुक्त 80/6/17

Date 12 JUN 2017

श्री राधेश्याम जुलानिया जी,

अपर मुख्य सचिव,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय :– ग्रामीण सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों पर "पंचायती राज व्यवस्था" का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन।

संदर्भ :– मा. सर्वोच्च अदालत की सि.अ.प्र.क्र. 19869/2010 दिनांक 28.01.2011

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 संशोधन वर्ष 2011.

म.प्र. विधानसभा में राजस्व विभाग का उत्तर प्र.क्र. 5815 दिनांक 17.03.2016

--00--

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सर्वोच्च अदालत के आदेश, प्रचलित प्रावधान एवं राजस्व विभाग के विधानसभा पटल पर प्रस्तुत जानकारी के बाद भी ग्रामों के सामुदायिक संसाधनों पर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन की व्यवस्था किए जाने में पूरे राज्य में असफल हो गया है।

भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून 1996 में ग्रामीण संसाधन पर पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार माना गया है जिसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने 28 जनवरी 2011 को आदेश की कंडिका 3 एवं 22 में स्पष्ट निर्देश दिए है।

राज्य की विधानसभा ने भू–राजस्व संहिता की धारा 237 में आवश्यक संशोधन भी कर दिया, विधानसभा में मार्च 2016 में संसाधनों को पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन में सौपें जाने की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी, लेकिन राज्य का पंचायत विभाग इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक अपनी कार्ययोजना भी नही बना पाया।

क्रमांक /अ.मु.स./प.ग्रा.वि.वि./2017 28/06/2017 01-7-17

Dir. (P)

D.D.(P)

01/8/17

निरंतर.......2

हमारा अनुरोध है कि पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यवाही की जाकर, की गई कार्यवाही से हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(निशंक कुमार जैन)

प्रतिलिपी : श्री अजय सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधानसभा, भोपाल।